

न्यायालय लक्ष्मीलक्षार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जसिये रिपोर्ट पटवारी हल्का लुसारी वनाम गुग्गा
 प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 पलवार प्रकृत

प्रकरण संख्या :- 35/18/18A


निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि रास लुसारी
 की आ.ख.नं. 454 कुल रकमा 1.08 किश्म जमीन 1.08 में से 0.01
 रकमा पर भी गुग्गा/परभती पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर
मकड़ी/पुष्कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का लुसारी द्वारा दिनांक 12/6/18
 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट गय लार्ड
 भू.अ.निरी. के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण वर्ण रजिस्टर किया
 जाकर अतिक्रमी गुग्गा/परभती निवासी लुसारी को भू-
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
 कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी
 उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।
 उक्त रकमा आ.ख.नं. 454 रकमा 1.08 में से 0.01
 रकमे किस्म गुग्गा/पुष्कर जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा लॉरसाथम का अतिक्रमिल
 रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं रण्ड स्वरुप लगान 63पाउंड का
 50 गुणा 32/1 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांगा कायमी हेतु टीआरए को लिखा
 जावे, पैनल्टी तसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी लुसारी भू.अ.निरी.
 को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।

लक्ष्मीलक्षार
 लक्ष्मीलक्षार
 कठूमर, अलवर (राज.)

शीतलपि :- प. ६

दि. 31-12-18 को प्रकृत सं. 16 का नं. 7
 सं. 2018/19 का पटवारी सं. 32/1
 न. कानूनी कार्यवाही


 लक्ष्मीलक्षार
 कठूमर, अलवर (राज.)